पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/26(आ0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गया जी।

पटना, दिनांक 07-7-26

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 09.06.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 16(स्वी०) दिनांक 09.06.2026 द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त श्री विजय राम, सफाईवाला, हाउस किपिंग कार्यालय, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, पूर्व मध्य रेलवे, गया की दूर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप स्थायी विकलांगता की स्थिति में देय जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया जी को कुल ₹7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त श्री विजय राम, सफाईवाला, हाउस किपिंग कार्यालय, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, पूर्व मध्य रेलवे, गया की दूर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप स्थायी विकलांगता की स्थिति में देय जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया की दूर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप स्थायी विकलांगता की स्थिति में देय जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया जी को कुल ₹7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया जी** होंगे।

Aditi

4. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत "मुख्यशीर्ष–2015–निर्वाचन–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अंतर्गत विषय शीर्ष "0002.37.01–अनुग्रह अनुदान" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2015001090002 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, गया जी** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025 के पृष्ठ संख्या ....80..../टि० पर दिनांक ..07/07/2026.. को प्राप्त है।

Aditi

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

7/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/26(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/7/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार/कोषागार पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया जी/प्रभारी पदाधिकारी–06 (निर्वाचन) एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–02/2025/26(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 07/7/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx 119